रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 737] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 12, 2018/आश्विन 20, 1940
No. 737] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2018/ASVINA 20, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

[मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 1030(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) भर्ती नियम, 1984, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैंए अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि. —**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होगीं जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू, उनके स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

5. व्यावृति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय.समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)	162* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूहः 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स (रुपयेः 44,900.1,42,400) में स्तर- 7	चयन पद

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7
30 वर्षों से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-.समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	**आवश्यकः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान या सामाजिक कार्य विषय सहित किसी भी विधा शाखा में डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वद्यिालय या संस्थान से विधि या श्रम संबंध या श्रम कल्याण या श्रम विधियाँ या औद्योगिक संबंध या समाज विज्ञान या वाणिज्य या समाज कार्य या कल्याण कारोबार प्रशासन अथवा कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा वांछनीय -----
टिप्पणः आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	किसी औद्योगिक संगठन या किसी सरकारी स्थापना में श्रम विधि या श्रम कल्याण या